3. स्टेशन पर पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था है । प्लेटफार्म नं० 1 पर एक जलशीतक की भी व्यवस्था की गई है ।

4. प्लेटफार्म नं० 1 पर 529.66 वर्ग मीटर और प्लेटफार्म नं० 2 और 3 पर 172.43 वर्गमीटर क्षेत्र पर सायबान की व्यवस्था की गई है ।

5. वर्तमान यातायात के स्तर के लिए ये व्यवस्थायें पर्याप्त समझी गई हैं ।

वातानुकूलित शयनयानों के स्थान पर डी-लक्स वातानुकूलित यान

2839. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वातानुकूलित-शयन यानों के स्थान पर बैठने के स्थान वाले डी-लक्स वातानुकूलित यानों की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) प्रथम चरण में ऐसे कितने यानों की व्यवस्था की जायेगी ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितने यात्रियों को सुविधा मिलेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

बरेली और मुरादाबाद के बीच दोहरी रेल लाइन बिछाना

2840. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर रेलवे के बरेली एवं मुरादाबाद रेल स्टेशनों के बीच बहुत वर्षों से इकहरी रेल लाइन है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इसे दोहरी करने का है, यदि हां, तो कब तक; और

(ग) उसका निर्माण कब प्रारम्भ किया जायेगा, और कुल कितना व्यय होने का अनुमान है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं, यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान इकहरी लाइन ही पर्याप्त है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Preferential Treatment to Railwaymen's wards in regard to Employment

2841 SHRI VASANT SATHE:
SHRI K. RAMAMURTHY:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Ministry is considering a proposal to accord a preferential treatment to railwaymen's wards in employment;

(b) if so, details of the proposal under consideration;

(c) the decision taken in the matter; and

(d) whether views of the Law/Home Ministry have been sought/obtained and details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) (a) to (d). A proposal has been under consideration for giving some preference to wards/sons/children of retired employees on compassionate grounds taking into account the indigent circumstances of the family. It is under examination in consultation with the Law Ministry.